5. निर्वाचन (Elections)

5.1. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक {Election Laws (Amendment) Bill}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021** पारित किया गया।

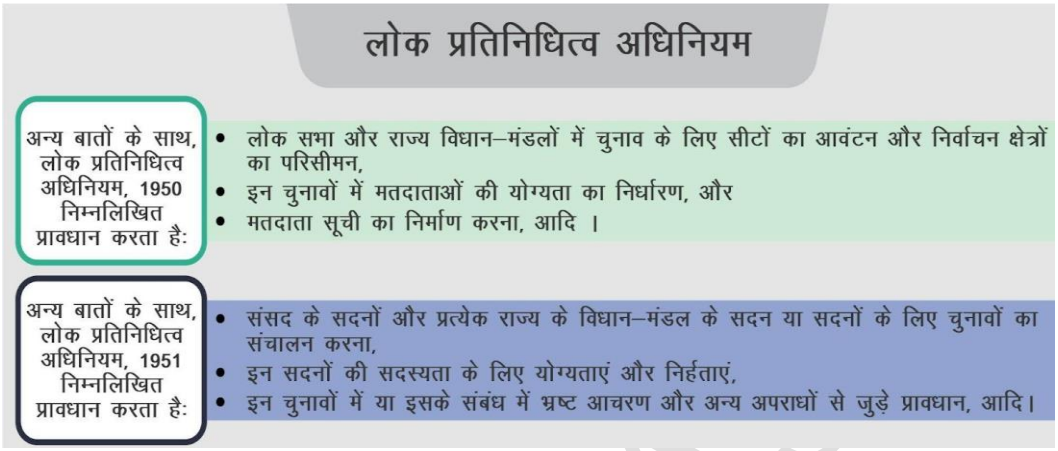

इस विधेयक के बारे में

- इस विधेयक में कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950**[10] और **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951**[11] में संशोधन करने का प्रावधान है।

संशोधन द्वारा लाये गए बदलाव इस प्रकार हैं (तालिका में देखें):

संशोधन	मूल प्रावधान	किये गए परिवर्तन
मतदाता सूची के डेटा को आधार संख्या से जोड़ना (RPA, 1950 की धारा 23 में संशोधन द्वारा)	• 1950 के अधिनियम में प्रावधान है कि एक **व्यक्ति** किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए **निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन कर सकता है।** • **सत्यापन के पश्चात्** यदि अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक पंजीकरण का हकदार है तो वह **आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश देगा।**	• निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी **किसी व्यक्ति** से कह सकता है कि **अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपनी आधार संख्या उपलब्ध कराए।** • यदि उस व्यक्ति का नाम पहले से ही मतदाता सूची में है तो इसमें दर्ज विवरणों के **सत्यापन**[12] **के लिए** आधार संख्या की आवश्यकता हो सकती है। • यदि कोई व्यक्ति किन्हीं निर्धारित कारणों से अपनी **आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ** है तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से **वंचित नहीं किया जाएगा** या उसका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। ○ ऐसे व्यक्तियों को **केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित** वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की **अनुमति दी जा सकती है।**
मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि (RPA, 1950 की **धारा 14** के खंड (b) में संशोधन द्वारा)	• वर्ष 1950 के अधिनियम के तहत जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जाती है, उस वर्ष की **1 जनवरी को नामांकन की पात्रता तिथि माना जाता था।** • इसका तात्पर्य यह है कि **1 जनवरी के बाद** 18 वर्ष का (अर्थात् मतदान के लिए पात्र) होने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में तभी नामांकन करा सकता था, जब **अगले वर्ष के लिए मतदाता सूची तैयार/संशोधित की जाए।**	• यह विधेयक एक कैलेंडर वर्ष में **चार पात्रता तिथियाँ** प्रदान करने के लिए इसमें संशोधन करता है, जो **1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर होंगी।**
लिंग-तटस्थ या जेंडर-	• 1950 का अधिनियम कुछ ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचक	• विधेयक के द्वारा RPA, 1950 और 1951 में **'पत्नी**

[10] Representation of the People Act (RPA), 1950

[11] Representation of the People Act, 1951

[12] Authentication of Entries in the Roll